रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 7, 2004/श्रावण 16, 1926
No. 700] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 7, 2004/SRAVANA 16, 1926

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2004

का.आ. 905(अ).—कयर उद्योग नियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उस धारा की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

किन्हीं ऐसी आपत्तियों अथवा सुझावों, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों को कयर उद्योग (संशोधन) नियम, 2004 कहा जाएगा।
2. कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) की श्रेणी (छ) में "10" अंक के स्थान पर "19" अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 6(4)/2004-कयर]

ए. पी. पार्डी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—अधिसूचना का.नि.आ. 2226 दिनांक 6-7-1954 का निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया है :—

1. का.नि.आ. 973, दिनांक 29-4-1955
2. का.नि.आ. 3983, दिनांक 12-12-1955
3. का.नि.आ. 3669, दिनांक 17-12-1955
4. का.नि.आ. 877, दिनांक 9-4-1960

5. सा.का.नि. 1088, दिनांक 18-6-1963
6. का.आ. 2983, दिनांक 6-5-1967
7. सा.का.नि. 1122, दिनांक 21-7-1969
8. सा.का.नि. 1588, दिनांक 28-9-1976
9. सा.का.नि. 2498, दिनांक 28-9-1976
10. सा.का.नि. 390(अ), दिनांक 30-5-1983
11. सा.का.नि. 694(अ), दिनांक 30-7-1992
12. सा.का.नि. 832(अ), दिनांक 29-10-1992
13. का.आ. 784(अ), दिनांक 14-9-1995
14. का.आ. 44(अ), दिनांक 15-1-1996

MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2004

S.O. 905(E).—The following draft of certain rules further to amend the Coir Industry Rules, 1954 which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by Section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), is hereby published as required by sub-section (1) of that Section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said Draft Rules will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Coir Industry (Amendment) Rules, 2004.
2. In the Coir Industry Rules 1954, in rule 4, in sub-rule (1), in the category (g), for the figures "10" the figures "19" shall be substituted.

[F. No. 6(4)/2004-Coir]

A. P. PADHI, Jt. Secy.

Footnote : —Notification S.R.O. 2226 dated 6-7-1954 has been amended *vide* :—

1. S.R.O. 973 dated 29-4-1955
2. S.R.O. 3983 dated 12-12-1955
3. S.R.O. 3669 dated 17-12-1955
4. S.R.O. 877 dated 9-4-1960
5. G.S.R. 1088 dated 18-6-1963
6. S.O. 2983 dated 6-5-1967
7. G.S.R. 1122 dated 21-7-1969
8. G.S.R. 1588 dated 9-7-1976
9. G.S.R. 2498 dated 28-9-1976
10. G.S.R. 390(E) dated 30-5-1983
11. G.S.R. 694(E) dated 30-7-1992
12. G.S.R. 832(E) dated 29-10-1992
13. S.O. 784(E) dated 14-9-1995
14. S.O. 44(E) dated 15-1-1996

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.